रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1524] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939
No. 1524] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/JYAISTHA 9, 1939

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1720(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) निम्नलिखित केन्द्रीय सेक्टर स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है; अर्थात् :-

(क) प्रदर्शन कला अनुदान स्कीम (इसे रिपर्टरी अनुदान स्कीम के रूप में भी जाना जाता है);

(ख) राष्ट्रीय महत्व वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता स्कीम;

(ग) कलाकार पेंशन स्कीम एवं कल्याण निधि;

(घ) सांस्कृतिक समारोह और प्रस्तुति अनुदान स्कीम; और

(ड.) अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध प्रोत्साहन स्कीम।

और जबकि, पूर्वोक्त स्कीमें मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) (जिन्हें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं;

और जबकि, स्कीमों के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा चयनित व्यक्तियों (जिन्हें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) को वित्तीय सहायता या मानदेय या पेंशन अध्येतावृत्ति (जिन्हें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से लाभ कहा गया है) प्रदान की जाती है;

और जबकि, पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) स्कीमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए किसी पात्र व्यक्ति से आधार संख्या रखने का प्रमाण उपलब्ध करवाना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित होगा।

(2) स्कीमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्तियों को जिनके पास आधार नंबर नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, उन्हें 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा परन्तु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हों तथा ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन हिताधिकारियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन प्रस्तुत नहीं किया है तथा संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न होने की दशा में, यह मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन्हें यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

परन्तु किसी व्यक्ति को आधार उपलब्ध कराए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन दिए जाने वाले लाभ निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने के अध्यधीन होंगे, अर्थात् :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसके आधार नामांकन आईडी की पर्ची; या

(ii) नीचे दिए गए पैरा (2) के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए उनके अनुरोध की प्रति ; तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाक घर पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; अथवा (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उनके सरकारी लेटरहैड पर जारी फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र ; या (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और है कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन, हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय स्वयं अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् :-

(क) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार और स्कीमों के अधीन आधार की अपेक्षा के प्रति हिताधिकारियों को अवगत कराने के लिए उन्हें व्यक्तिगत सूचना दी जाएगी और उन्हें सलाह दी जाएगी कि यदि वे पहले से नामांकित नहीं है, तो 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में अपने को नामांकित कराएं। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) स्कीम के अधीन ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे निकट पास पडोस में नामांकन केन्द्रों की उपलब्धता नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ रहने वाले हिताधिकारियों के मामले में, मंत्रालय द्वारा स्वयं अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं सृजित की जाएंगी और हिताधिकारियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे मंत्रालय या कार्यान्वयन अभिकरणों के पदनामित अधिकारियों या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के

माध्यम से पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपने-अपने अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 16018/12/2015-पीएंडबी (डीबीटी सेल)पी-II]

प्रणव खुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1720(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Culture (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the following Central Sector Schemes, namely:-

(a) Performing Arts Grant Scheme (also known as Repertory Grant Scheme);

(b) Scheme for Financial Assistance to Cultural Organizations with National Presence;

(c) Artistes Pension Scheme and Welfare Fund;

(d) Cultural Functions and Production Grant Scheme; and

(e) Promoting International Cultural Relations;

And whereas, the aforesaid Schemes are implemented through autonomous bodies under the Ministry and Non-Governmental Organisations (NGOs) (hereinafter collectively referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the Schemes provide financial assistance or honorarium or pension fellowship (hereinafter collectively referred to as the benefits) to the individuals (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are selected by Expert Committees constituted by the Ministry for this purpose;

And whereas, the aforesaid Schemes involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Schemes shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment center (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry itself through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled

for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementation Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely :-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in

sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving License issued by the Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letter head; or (viii) Any other document as specified by the Ministry:

Provided, further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Ministry itself through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centers shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 16018/12/2015-P&B (DBT Cell)P-II]

PRANAV KHULLAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.01 15:11:33 +05'30'